अंचल कार्यालय सरैयाहाट

विविध वाद सं0 2 /2020

श्री दिलीप कुमार यादव
बनाम्
रामु पुजहर एवं अन्य

जिला -- दुमका
केस का प्रकार – मौजा महुरा खाता संख्या 67 दाग न0 816 पर जोत आबाद करने के संबंध में।

0सं0 नांक	पदाधिकारी का आदेश एवं मन्तव्य	की गई कार्रवाइ
01-07-2020	आवेदक श्री दिलीप कुमार यादव पिता स्व0 बालकृष्ण मॉझी ग्राम महुरा थाना सरैयाहाट के द्वारा आवेदन दिया गया है कि मौजा महुरा अनावादी खाता सं0 67 दाग न0– 816 रकवा 0.50 डीसमल भूमि पर द्वितीय पक्ष के द्वारा जबरदस्ती जोत आबाद किया जा रहा है। इसलिए जांच कर कार्रवाई करने हेतु अनुरोध किया गया है। आवेदन में उल्लेखित तथ्य का जॉच राजस्व उप निरीक्षक से कराई गई। जॉच प्रतिवेदन प्राप्त। देखा। अतः पक्षकार को मूल राजस्व कागजात प्रस्तुत करने हेतु नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 08.07.2020को रखें। लेखापित एवं शंसोधित 1.7.2020 अंचल अधिकारी सरैयाहाट 1.7.2020 अंचल अधिकारी सरैयाहाट	
08-07-2020	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक दिलीप कुमार यादव पिता स्व0 बालकृष्ण मांझी द्वारा आवेदन दिया गया है जिस पर विपक्षी रामू पुजहर एवं अन्य को नोटिस निर्गत किया गया। उक्त भूमि से संबंधित राजस्व कागजात के साथ अपना पक्ष रखने हेतु कार्यालय के ज्ञापांक 495/रा0 दिनांक 02.7.2020 द्वारा दिनांक 8.7.2020 को कार्यालय में उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। आवेदक दिलीप कु0 यादव के द्वारा पक्ष प्राप्त किया गया है जिसकी संपुष्टि आयुक्त कार्यालय दुमका के R.M case No 362/89-90 के द्वारा की गई है। विपक्षी को रानी सोनावती द्वारा निर्गत पट्टा प्राप्त है जो सक्षम कार्यालय से संपुष्टि नहीं है। विपक्षी गण से पूछा गया कि मामला उपयुक्त कार्यालय दुमका में	

P.T.O

Scanned with CamScanner

04/2020-21

विचाराधीन है।

अतः दोनों पक्षों को उक्त भूमि पर कोई जोत
विवाद नहीं करने संबंधी समझौता हुआ है।
उपर्युक्त तथ्यों के अवलोकन एवं रा०उ०नि० के
जाँच प्रतिवेदन के आधार पर वाद की कार्यवाही
समाप्त की जाती है।

8.7.2020
अंचल अधिकारी
[illegible]

लेखापित
8.7.2020
अंचल अमीन